सेवा में,

सम्पादक,
दैनिक जागरण,
दिल्ली

विषय :समाचार पत्र में छापी खबर "पैसे लेने के बावजूद एसएचओ नहीं बनाने पर इंस्पेक्टरों ने किया हंगामा" के सन्दर्भ में:

पत्रकार महोदय ने कहा है "कि एक इंस्पेक्टर ने एक Spl. CP को पैसे देने के बावजूद भी थानाध्यक्ष न लगाये जाने पर दिनांक 30 दिसम्बर को पीसीआर कॉल कर शिकायत दर्ज की । जिस कॉल को ग्रीन चीट में डाल दिया गया ।" इस सन्दर्भ मे दिनांक 30 दिसम्बर 2023 को इस प्रकार की कोई भी पीसीआर कॉल किसी भी इंस्पेक्टर से प्राप्त नहीं हुई है । यहाँ पर यह अवगत कराना जरुरी है कि PCR की प्रत्येक कॉल ERSS सिस्टम पर सुरक्षित रहती है और 30 दिसम्बर 2023 को प्राप्त हुई प्रत्येक कॉल को दोबारा सुनवाया गया है और स्पष्ट निष्कर्ष यही है कि उस दिन प्राप्त हुई हजारों पीसीआर कॉल्स में सें इस प्रकार की कोई भी कॉल नहीं पाई गई है । पत्रकार महोदय ने यह भी लिखा है की एक विशेष आयुक्त ने

कुछ चुनिन्दा इंस्पेक्टर्स को थानाध्यक्ष बनाने की कोशिश की पर मुख्यालय ने लिस्ट जारी नहीं होने दी । इस बाबत बताना आवश्यक है कि थानाध्यक्षो की पोस्टिंग को लेकर वर्तमान में कोई फाइल अस्तित्व में है ही नहीं - सो किसी फाइल के रोके जाने या निरस्त किये जाने की बात पूर्णतया मनगढंत हैं ।

पत्रकार महोदय ने यह भी लिखा है कि उक्त विशेष आयुक्त को सेवानिवृति के तीन दिन पहले नया आदेश निकाल कर थानाध्यक्षो की स्क्रीनिंग समिति से बाहर कर दिया गया था। इस बाबत बताना आवश्यक है कि यह निष्कर्ष कपोल कल्पित है; सत्यता यह है कि समिति कर पुनर्गठन दिनांक 27/12/2023 को मात्र इसलिए किया गया था कि आगामी शनिवार और रविवार क्रमश: 30 और 31 तारीख थी, जिन दिनों पुलिस मुख्यालय में इस प्रकार की प्रशासनिक समिति की बैठके अमूमन नहीं होती हैं । आगामी सोमवार अर्थात 1 जनवरी से पहले उक्त विशेष आयुक्त सेवा निवृत हो जाते, अतः अवकाश के दिनों से ठीक पहले नई स्क्रीनिंग समिति का गठन किया गया ।

पत्रकार महोदय ने कहा है कि पीसीआर कॉल, जो कि पूर्णतया असत्य है, थाना तिलक मार्ग के रोजनामचे मे दर्ज है ।

इस बाबत कहना है कि न सिर्फ थाना तिलक मार्ग अपितु उसके आस पास के थाने तुगलक रोड और कर्तव्य पथ की 30 दिसम्बर की प्रत्येक रोजनामचा प्रविष्टि को भली भाति पुन: निरीक्षित करा गया है और पत्रकार का कथन पूर्णतया असत्य पाया गया है ।

पत्रकार महोदय ने कहा है कि झगड़ा होने की अवस्था में पुलिस आयुक्त के ओ एस डी और एक अन्य डी सी पी मौके पर पहुचे और उन्होंने गुस्साए इंस्पेक्टर्स को समझाया इत्यादि । यह पूर्णतया असत्य है - दिनांक 30 दिसम्बर पुलिस आयुक्त के ओ एस डी इस प्रकार के किसी भी मौके पर नही गए, क्योकि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं ।

अन्त मे पत्रकार ने कहा है कि स्क्रीनिंग समिति में 5 विशेष आयुक्त होते हैं लेकिन सब कुछ सेटिंग से चलता है । इस कथन से पत्रकार के लेखन की सच्ची भावना का पता चलता है और पता चलता है कि समाचार के छलावे मे एक कपोल कल्पित, मनगढंत और पूर्ण मिथ्या को सत्य के रूप में पाठकों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है जो कि निंदनीय है ।

पत्रकार महोदय ने इस संदर्भ में तथ्यों की पुष्टि करने के लिए ना ही किसी आधिकारी से बात की और ना ही किसी अन्य प्रकार से सच्चाई जानने की कोशिश की अपितु एक मंनगढ़ंत कहानी को एक सनसनीखेज खबर बना कर प्रकाशित किया ।

यह न केवल किसी व्यक्ति विशेष, बल्कि पूरे पुलिस विभाग की मानहानि का प्रयास है और आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के लिए इस प्रकार की असत्य खबर छापना आपकी शोभा के विरुद्ध है और आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र की छवि पर भी नकारात्मक असर डालता है । आपसे निवेदन है कि ऊपर वर्णित आधिकारिक तथ्यों को पूर्ण गम्भीरता से अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करें तथा संबंधित पत्रकार महोदय को आगाह करे जिससे इस घटना की पुनरावृत्ति न हो ।

भवदीय,

राजेन्द्र उपाध्याय
06.01.2024

(आर. पी. उपाध्याय)
विशेष आयुक्त/पी. एम. एम. सी.
दिल्ली पुलिस

No:- 08/PRO/PMC Dated. 06-01-2024.